संख्या: 25/2017/48बीपी/35-1-2017

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 *लखनऊ: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2017*

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल की 02 परियोजनाओं को निरस्त करने तथा 03 वैकल्पिक परियोजनाओं की स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन ग्रामीण पेयजल से सम्बन्धित निम्नलिखित 02 परियोजनाओं की शासनादेश संख्या:38बीपी/35-1-2014 दिनांक 03 मार्च,2014के साथ पठित शासनादेश संख्या:213 बीपी/35-1-2014 दिनांक 14 अगस्त, 2014 तथा शासनादेशसंख्या:29/2015/112बीपी/35-1-2015 दिनांक 04 जून, 2015 द्वारा रू. 10.87 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कतिपय शर्तों के अधीन लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई थी। एतद द्वारा पानी की अनुपलब्धता के कारण विभागीय प्रस्ताव पर उक्त दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति निरस्त करने तथा इनके लिए पूर्व में अवमुक्त कर उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध कराई गई धनराशि रू. 10.87 करोड़ का उपयोग नीति आयोग द्वारा अनुमोदित 03 वैकल्पिक परियोजनाओं हेतु (पृष्ठ-2 पर अंकित सारिणी के अनुसार)किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदानकरते है:-

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (करोड़ रू. में)	अवमुक्त/जल निगम को उपलब्ध कराई गई धनराशि (करोड़ रू. में)
1	कपसा ग्राम समूह पेयजल योजना	5.96	5.96
2	बक्छा ग्राम समूह पेयजल योजना	4.91	4.91
	योग	10.87	10.87

इसके साथ ही उपर्युक्त विषय पर यह भी कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन नीति आयोग द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित 03 परियोजनाओं की रू. 11.02 करोड़ की लागत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निरस्त की गई उपरोक्त 02 परियोजनाओं हेतु पूर्व में अवमुक्त कर जल निगम को उपलब्ध कराई गई रू. 10.87 करोड़ (रूपये दस करोड़ सत्तासी लाख) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रथम किश्त के रूप में ऑकलित करते हुए उपयोग हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा इन कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यदायी संस्था होगी:-

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (करोड़ रू. में)	जल निगम के पास उपलब्ध धनराशि में से उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जा रही धनराशि (करोड़ रू. में)
1	नायकपुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना	5.45	5.38
2	भैंसमरी ग्राम समूह पेयजल योजना	2.08	2.05
3	बाघा ग्राम पेय जल योजना	3.49	3.44
	योग	11.02	10.87

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय नीति आयोग (तत्कालीन योजना आयोग), भारत सरकार के पत्र सं. क्यू 11050/21-2013-एग्री. दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यों एवं उसके साथ लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन माइलस्टोन्स/टाइम लाइन्स सहितविस्तृत कार्ययोजना बनाते हुए किया जायेगा।
2. उपरोक्त परियोजनाओं हेतु उपलब्ध हुई धनराशि एवं कार्य योजना की फॉट तैयार कर तत्काल सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/विभागीय जिला स्तरीय अधिकारीको उनके स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं कीगई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित हैं।
5. परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि पी.एफ.ए.डी. का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय परियोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होती है तो उस स्थिति में पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर पुन: शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित परियोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समय बद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रत्येक कार्य स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए उसका विस्तृत आगणन तैयार कराते हुए सक्षम स्तर की स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति/परियोजना से उल्लेखनीय रूप भिन्न होते हैं तो कार्य की वास्तविक लागत को शासनस्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्यस्थल के विवरण इत्यादि सहित नीति आयोग तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।
8. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियन्त्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत/उपलब्ध हुई है उसकाव्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना/शर्तों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।
10. कार्य स्थल पर इन्हें बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ साथ कार्य के मुख्य विवरण शिलापट्टिका/ बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेगें।
11. कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो।
12. कार्यों से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख रखाव की समुचित व्यवस्था ग्राम्य विकासविभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
13. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम्य विकास विभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14. प्रश्नगत परियोजनाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-4-

2- यह आदेश विभाग के अशासकीय सं. ई-5-723/दस-2017, दिनांक 17 अक्टूबर,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 25/2017/48 बीपी (1)/35-1-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम।
6- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
8- जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
10- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,लखनऊ/झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।